न्यायालय उप जिलाधिकारी सिकन्दरपुर बलिया

वाद संख्या 29 / 12 दफा 143 / 135जेड0ए0एक्ट

मौजा चकउजियारी परगना सिकन्दरपुर पूर्वी

श्रीकिसुन कालेज खेजुरी बलिया बनाम उ0प्र0सरकार जरिये कलेक्टर बलिया

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी प्रबन्धक, श्री सतीश कुमार सिंह श्रीकिसुन कालेज खेजुरी, जनपद बलिया द्वारा संक्षेप में इस अभिकथन के साथ संस्थित कियागयाहै कि मौजा चकउजियारी परगना सिकन्दरपुर तहसील सिकन्दरपुर जनपद बलिया स्थित आराजी नम्बर 175 रकबा –99डि0 मे रकबा –75डि0 मौके पर आवादी युक्त भूमि है तथा सम्बन्धित आराजी निजाई मे कृषि कार्य नही किया जाता है बल्कि यह भूमि विद्यालय के नाम से दिनाक 26,12,2012 को राजस्व अभिलेखों में दलजहं की गयी है । आगे यह भी कहा गया है कि सम्बन्धित आराजी निजाई में शैक्षणिक कार्य हेतु निर्माण प्रगति मे है जिसको सम्बन्धित निजाई को आवादी के रुप में सेहत किया जाना आवश्यक है । अन्त मे सम्बन्धित आराजी निजाई यको कृषिक भूमि से अकृषिक (आवादी / शैक्षिक) घोषित करने का अनुरोध किया है ।

वाद पत्र पर तहसीलदार सिकन्दरपुर से जाच करायी गयी । तहसीलदार सिकन्दरपुर ने प्रकरण की जांच कर अपनी आख्या दिनांक 27,12,2012 प्रस्तुत किया है । तहसीलदार सिकन्दरपुर की उक्त जांच आख्या से स्पष्ट है कि मौजा चकउजियारी स्थिति आराजी नम्बर 175 रकबा 0,4010डि0 भूमि में से रकबा 0,304हे0 भूमि श्रीकिसुन कालेज श्री किसुन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्रबन्धक श्री सतीश कुमार सिंह पुत्र प्रदुमन सिंह ग्राम खेजुरी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमि दर्ज है और उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रगति में हैं जिसके तहत चहारदीवारी के रुप में पीलर मौजूद है तथा दीवाल भी खड़ी की जा रही है । तहसीलदार ने अपने उक्त आख्या में सन्दर्भित आराजी पर कृषि कार्य न होना बताया है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सिकन्दरपुर की आख्या दिनांक 27,12,2012 मय नजरी नक्शा, उध्दरण खतौनी मौजा चकउजियारी परगना सिकन्दरपुर पूर्वी वर्ष 1415–1420फ0, सम्बन्धित आराजी पर निर्माण सम्बन्धी नक्शा प्रस्तुत किया गयाहै , जिससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित आराजी निजाई 175 रकबा 0,4010हे0 में से रकबा 0,304डि0पर श्री किसुन कालेज श्री किसुन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्रबन्धक श्री सतीश कुमार सिंह पुत्र प्रदुमन सिंह ग्राम खेजुरी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज है और उसमें